

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/ 5021

दिनांक: 8-5-2020

आदेश

राज्य सरकारने निर्देशानुसार श्री मोहम्मद रेहान, एडवोकेट, रजिस्ट्रेशन नं. आर/1335/16 को नगर निगम जयपुर के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम जयपुर से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।

Please of local  
I (N) Mem (K) /  
27.09.

  
(उज्ज्वल राठी)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/ 5022 - 5030

दिनांक: 8-5-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
06. श्री मोहम्मद रेहान, एडवोकेट मार्फत, नगर निगम जयपुर।
- ✓ 07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी